

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया (म.प्र.)

टेलीफोन नं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com &

datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता - 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिला दतिया, म.प्र. पिन कोड 475661

क्रमांक 3889/स्था.नर्सिंग/2022

दतिया, दिनांक 12/05/2022

पुनः विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2-06/2018/1-55, भोपाल, दिनांक 07.04.2018 द्वारा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में मध्यप्रदेश स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम, 2018 एवं संचालनालय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र., भोपाल पत्र क्रमांक 688/स्था.अराज/2018, भोपाल, दिनांक 09/08/2018 द्वारा जारी की गई अनुमोदित अनुसूचियों के आधार पर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में नर्सिंग ऑफिसर के रिक्त भूतपूर्व सैनिक श्रेणी, दिव्यांग श्रेणी के पदों पर निर्धारित शर्तों के अधीन एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, :-

01. महिला नर्सिंग ऑफिसर के कुल रिक्त पद संख्या :- 37

सीधी भर्ती :- महिला नर्सिंग ऑफिसर(भूतपूर्व सैनिक,दिव्यांग श्रेणी) - कुल पद - 37

स.क.	श्रेणी	कुल पद	सीधी भर्ती (80)		संविदा भर्ती (20)	
			महिला भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग	महिला भूतपूर्व सैनिक	दिव्यांग
1	अनारक्षित	10	05	03	01	01
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	10	05	03	01	01
3	अनुसूचित जनजाति	07	03	02	01	01
4	अनुसूचित जाति	07	03	02	01	01
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	02	01	00	00
	योग	37	18	11	04	04

संविदा पद पर आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों को न्यूनतम 05 वर्ष का संबंधित पद पर अनुभव होना अनिवार्य है।

नोट - 1. क्रमांक एफ7-53-2019-आ.प्र.-1 म.प्र. लोक सेवा अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) नियम 1988 में संशोधन दिनांक 24.12.2019, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अध्याधीन सीधी भर्ती द्वारा महिला स्टाफ नर्स के रिक्त पदों पर भर्ती की जानी है।

2. दिव्यांगों की रिक्तियाँ शारीरिक विकलांगता निःशक्तजनों के लिए आरक्षित हैं।

02. यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

नर्सिंग ऑफिसर	1. अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के साथ (10+2) शिक्षा पद्धति से 12वीं परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. बी. एस. सी. (नर्सिंग) अथवा जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान प्रशिक्षित। 3. मध्यप्रदेश नर्सिंग कौंसिल में जीवित पंजीकृत परिचारिका।
---------------	--

03. वेतनमान एवं अन्य भत्ते :-

महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

1. मध्यप्रदेश संचालनालय चिकित्सा शिक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 932/स्था.अराज/2019 भोपाल दिनांक 24/08/2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय की उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक एवं व्यवहारिक गुणवत्ता एवं शासन द्वारा व्यय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए स्क्रूटनी में उपयुक्त पाए जाने पर स्टाफ नर्स की नियुक्ति प्रथम 03 माह के लिए निश्चित पारिश्रमिक रूपए 10,000/- प्रतिमाह पर की जावेगी। 03 माह पश्चात् नर्सिंग ऑफिसर की लिखित परीक्षा ली जावेगी। इसके पश्चात् परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की नियमित स्थापना के पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
2. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3/एक भोपाल दिनांक 12.12.2019 की कंडिका "ब" अनुसार परिवीक्षा अवधि में उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

04. आरक्षण :-

01. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिए आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
03. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हो।
04. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षैतिज आरक्षण लागू होगा।
05. दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडीकल बोर्ड, जबलपुर द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो, प्रस्तुत करना होगा। निःशक्तजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ-8-4/2001/आ.प्र./एक(पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितंबर 2018 अनुसार होगा। चिन्हांकित दिव्यांग पदों को अस्थि बाधित श्रेणी में अधिकतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता होने पर एवं सक्षम अधिकारी द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ दिया जावेगा।
06. उक्त पदों में संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
07. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितम्बर 2012 के अनुसार रहेगा।
08. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर सर्वर्ण वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 7-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।

05. आवेदन शुल्क

क्रं.	श्रेणी	शुल्क
1	अनारक्षित वर्ग हेतु	1000/- (200 रुपये विभागीय शुल्क एवं 800 रुपये एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क)
2	अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) हेतु	900/- (100 रुपये विभागीय शुल्क एवं 800 रुपये एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क)
3	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्तजन हेतु	800/- (800 एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल शुल्क)

06. आयुसीमा :-

01. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
02. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/अनारक्षित) भूतपूर्व सैनिक आदि हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष

नोट :- आयु गणना 01 जनवरी 2022 के आधार पर की जावेगी।

07. सामान्य शर्तें :-

01. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
02. शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा आवश्यकतानुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
03. महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हो, सीधी भर्ती के पद के विरुद्ध आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति नहीं लेना होगी।
04. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ2-20/2020/1/55 भोपाल, दिनांक 17.11.2020 के अनुसार म.प्र. के शासकीय नर्सिंग स्कूल/महाविद्यालय के उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्राथमिकता के आधार पर चयनित किया जावेगा।
05. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदण्डों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
06. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
07. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं ज्वॉइनिंग के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
08. अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
09. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद होने पर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर के निर्णय अनुसार मान्य होगा।
11. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किए गए उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
12. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
13. स्टाफ नर्स के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

08. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-

स्टाफ नर्स को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएँ देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

09. अनहर्तार्यें

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

01. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए हों जिनमें फेरबदल किया गया हो।
02. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिए गए किसी भी आवेदन/प्रपत्र/ अनुप्रमाणन/ दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो।
03. भर्ती के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो।
04. आवेदकों को मध्यप्रदेश (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिए वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
 - अ. महिला उम्मीदवार जिसके एक से अधिक पति जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पति जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
 - ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

स. महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।

द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ है परंतु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।

05. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

10. चयन प्रक्रिया (नर्सिंग ऑफिसर का वैटेज निम्नानुसार रहेगा) :-

01. मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के ज्ञापन क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 09/04/2021 के परिपालन में उपरोक्त पदों हेतु एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से लिखित परीक्षा आयोजित करायी जायेगी तथा एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट सूची के अनुक्रम में योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेजों के सत्यापन हेतु बुलाया जायेगा।

02. प्रत्येक श्रेणी हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा नर्सिंग ऑफिसर की पृथक-पृथक प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी। नर्सिंग ऑफिसर की सामान्य प्रवीण्य सूची भी तैयार की जावेगी।

03. प्रवीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर वरीयता में रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अहर्ता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12 वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।

04. दस्तावेज सत्यापन के दौरान 12 वीं परीक्षा की अंकसूची में शैक्षणिक योग्यतानुसार भौतिकी, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान नहीं होने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जावेगा।

05. दस्तावेज सत्यापन में त्रुटी पाई जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जायेगा।

06. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों की योग्यता संबंधी समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होंगी।

07. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।

11. आवेदन संबंधी समय तालिका :-

क्र.	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	17/05/2022
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	16/06/2022

12. आवेदन कैसे करें :-

01. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानी पूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।

02. आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.govt.in की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

03. आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियाँ उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

- जन्मतिथि के समर्थन में हाईस्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र।
- आवेदित पद हेतु निर्धारित अहर्ता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फायनल ईयर की मार्कशीट।
- म.प्र. में संबंधित काउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
- फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
- उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
- 12 वीं कक्षा की अंकसूची।
- जाति प्रमाण पत्र।
- प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं हस्ताक्षर सहित 200 के.बी. के आकार से अधिक ना हो।

13. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-


- आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाइन www.mponline.govt.in पर दिए गए लिंक पर उपलब्ध है। आवेदन फॉर्म ऑनलाईन म.प्र. के जिला, तहसील एवं ब्लॉक तथा कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से भरा जा सकता है। एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्कों

की सूची के लिए एम.पी.ऑनलाईन www.mponline.govt.in पर Authorised Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना ऑनलाईन फॉर्म भर सकते हैं।

- इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि :-
आवेदक एम.पी.ऑनलाईन www.mponline.govt.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवाएँ ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर ड्रॉप डाउन लिस्ट से आवेदन ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात् शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया के लोगो पर क्लिक करने के उपरांत आवेदन में जा कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों को किसी प्रकार की असुविधा होने पर एम.पी.ऑनलाईन के कस्टमर केयर नम्बर 0755-6720200, 0755-6720222 एवं ई-मेल आई.डी. helpdesk@mponline.govt.in से सम्पर्क कर सकते हैं।
- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी.ऑनलाईन www.mponline.govt.in के माध्यम से या शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com दिए गए लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें, इसके उपरांत ही ऑनलाईन आवेदन करने के लिए फॉर्म पर क्लिक करें इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर ऑनलाईन फॉर्म दिखाई देगा। आवेदक को फॉर्म में मांगी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फॉर्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन ब्राउज दिखाई देगा, जिसमें आवेदक अपना नवीन रंगीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी **hyperlink** को लिंक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फॉर्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फॉर्मेट को स्कैन कर (जे.पी.जी. 200 के.बी. साईज और न्यूनतम) फॉर्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक ब्राउज बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाईन फॉर्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें की फॉर्म में जो भी जानकारी भरी गई है वह सही है। यदि फॉर्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें इसके उपरांत सबमिट बटन दबायें। इससे आवेदक को एक आवेदन फॉर्म नंबर प्राप्त होगा इसके उपरांत आवेदक शुल्क के भुगतान के लिये **Proceed to payment** बटन पर क्लिक करेगा तो उसे शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।
- 1. क्रेडिट / डेबिट कार्ड 2. इंटरनेट बैंकिंग।
- क्रेडिट / डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भर सकता है। ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट / डेबिट के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फॉर्म भरने के उपरांत शुल्क का भुगतान करने के लिये **Proceed to payment** बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर संबंधित बैंक का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट / डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कंफर्म बटन दबाकर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटरआईज्ड रसीद प्राप्त होगी जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधित जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान – आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फॉर्म भरकर शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना आनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फॉर्म भरने के उपरांत **Proceed to payment** बटन दबायेगा यह पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई.डी. पासवर्ड डालकर लॉग-इन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट आवश्यक लें।
- एम.पी. ऑनलाईन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फॉर्म भरने की विधि – आवेदक ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी. ऑनलाईन के अधीकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक www.mponline.govt.in वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आई.डी. और पासवर्ड डालकर लॉग-इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग इन करेगा। इसके उपरांत सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में

सर्वप्रथम फॉर्म भरने संबंधित निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फॉर्म में सही से भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फॉर्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फॉर्म भरने के उपरांत आवेदक ऑनलाईन फॉर्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को **Proceed to payment** बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें आवेदक कियोस्क संचालक को शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराईज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

- जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जावेगी।
 - यदि आवेदक के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गए फॉर्म का कियोस्क के माध्यम से पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन लिंक द्वारा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।
 - इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताए गए बिंदु में दर्शाई गई विधि अनुसार फॉर्म भरने के उपरांत आपके नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गए फॉर्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा इसके उपरांत कियोस्क संचालक पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन में उक्त जानकारी भरकर फॉर्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत **Proceed to payment** बटन दबाकर शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क का भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराईज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाईन पेमेंट करने पर यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/पेमेंट रसीद जनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
14. उपरोक्त तिथियाँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है। यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाईट www.datiamedicalcollege.com एवं एम.पी.ऑनलाईन की वेबसाईट का नियमित रूप से अवलोकन करते हुए एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों पर ध्यान दें। इस संबंध में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की कोई जबावदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो इसकी दावेदारी मान्य नहीं हकी जावेगी। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया, म.प्र.